न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

निष्कासन वाद सं0–01 सन् 2019

पंचा देवी उर्फ चंपा देवी...........................वादिनी

बनाम

भरत साह वो अन्य ....विपक्षीगण।

दिनांक– 05.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी हैं। आज अभिलेख वादिनी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 10.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादिनी का आवेदन में कथन है कि यह मुकदमा निष्कासन हेतु वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद, वादी के साक्ष्य हेतु चल रहा है वो इसी दरम्यान विपक्षी रंजीत साह की मृत्यु दिनांक 17.01.2022 को हो गई है। न्यायहित में विपक्षी रंजीत साह का नाम कलमजद करना वो इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि विपक्षी रंजीत साह का नाम कलमजद करने वो उनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान किया जाए।

विपक्षी के तरफ से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विपक्षी सं0 01 रंजीत साह की मृत्यु दिनांक 17.01.2022 को हो गई है जिनके वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दिया गया है जो वादी के तरफ से समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। विपक्षी के तरफ से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता हैं।
वाद दिनांक 25.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।